न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :— रणजीत कुमार आर.ए.एस.

अनवान :— प्रार्थना पत्र संख्या 46/2024

सरदारा सिंह पुत्र श्री गुरदयाल सिंह जाति तरखान निवासी गांव कोठा तह. व जिला श्रीगंगानगर

— — प्रार्थी

—:: बनाम ::—

राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर

— — अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

—:: उपस्थिति ::—

1.	सरदारा सिंह स्वयं	— — प्रार्थी
2.	पैरोकार राज	— — अप्रार्थी 1

— :: निर्णय ::—

दिनांक :—21.10.2024

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी एंव मेरे भाईयों के नाम से वाके ग्राम सरकज नहर खखा तहसील व जिला श्रीगंगानगर में मुताबिक जमाबन्दी सम्मतः 2070—2073 पटवार हल्का कोठा में मुताबिक खाता खतौनी संख्या नया 8 एंव पुराना 9 में रकबा बारानी दर्ज कागजात माल है तथा हमारे उक्त राजस्व रिकार्ड में पहले हमारी जाति तरखान ही अंकित थी मगर कालान्तर में उक्त जमाबन्दी आनलाईन करने के दौरान हमारे उक्तत रकबा में एक हिस्सेदार मुन्शीराम पुत्र जटू राम की जाति कम्बोज होने के कारण उक्त खाता के हम सभी हिस्सेदारान की जाति भूलवश क्लैरिकल मिस्टेक से तरखान के स्थान पर कम्बोज सिक्ख लिखी गई है। जब कि हमारी वास्तविक जाति तरखान है तथा हमारी पूर्व की जमाबन्दीयों में भी हमारी जाति तरखान ही अंकित है। उक्त जाति गलत लिखे जाने के कारण हमें हमारे रकबा में खाता अलग करवाये जाने एंव अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए, भारी परेशानी हो रही है प्रार्थी हमारे उक्त वर्णित रकबा का पुराना राजस्व रिकार्ड जिसमें हमारी जाति तरखान अंकित है उसकी छाया प्रति भी सलग्न कर रहा है ।

अतः आपसे निवेदन है कि नियमानुसार जांच रिपोर्ट ली जाकर हमारे उक्त वर्णित खाता में प्रार्थी एंव मेरे भाईयों के नाम से दर्ज रकबा में जो जाति कम्बोक सिक्ख अंकित हो गई है इसको दुरुस्त कर तरखान जाति अंकित की जावे

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर पैरोकार राज तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर से जांच रिपोर्ट ली गई। पैरोकार राज तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा जरिए क्रमांक 4099 दिनांक 19.07.2024 के रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार सरदारा सिंह, कातार सिंह, सुखदेव सिंह, ठानासिंह, मुखत्यार सिंह पिसरान गुरदयाल सिंह की जाति कम्बोसिख के स्थान पर रामगढियां की जानी प्रस्तावित है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

अनवान सरदारा सिंह बनाम सरकार
मुकदमा नम्बर 46/2024

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वयं का आधार कार्ड, नामान्तरकरण संख्या 24/6 दिनांक 10.06.1998 की प्रति, जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 चक सरकज नहर खखा, पटवार हल्का कोठा, भू.अ.नि. हिन्दुमलकोट खाता संख्या 9/10 की प्रति, जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 चक सरकज नहर खखा, पटवार हल्का कोठा, भू.अ.नि. हिन्दुमलकोट खाता संख्या 8/9 की प्रति का अवलोकन किया गया। अभिलेखीय साक्ष्यों एवम् तहसीलदार श्रीगंगानगर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया गया।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआर एक्ट स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का नाम जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 चक सरकज नहर खखा, पटवार हल्का कोठा, भू.अ.नि. हिन्दुमलकोट खाता संख्या 8/9 में खातेदार सरदारा सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह, ठाना सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह, मुख्तयार सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह, करतार सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह, सुखदेव सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह की जाति कम्बोसिख को दुरूस्त कर प्रार्थीगण की जाति रामगढिया सिख दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता हैं।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि यदि उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति हो तो वह पूर्वानुसार रहेगी उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/ गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ... नगर (राज.)

Scanned with CamScanner